न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:– 104/2022
निर्णय दिनांक:–28.10.2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. मनिष तिवाडी पुत्र मूलचन्द, जाति बारागांव, निवासी कस्बा फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र दुरगालाल
2. मनिषा तिवाडी पुत्री मूलचन्द
समस्त जातियान बारागांव निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री प्रहलाद सहाय चौधरी अधिवक्ता वादी
श्री अर्जुन लाल चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:–28.10.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 874 में वर्णित खसरा नम्बर 603, 604, 617, 7030/621 इस प्रकार कुल किता 04 कुल रकबा 4.6282 हैक्टेयर वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा में से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज काश्त रहकर अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। उपर्युक्त विवादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। विवादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्म से ही अधिकार है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी के दादाजी स्व. दूरगालाल की आराजी रही है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक उत्तराधिकारी

लगातार....................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है। इसलिये उक्त विवादित आराजी वादी के दादाजी की सम्पत्ति होने के कारण वादी का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी का हक व हिस्सा निहित है। उक्त विवादित आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलकर उक्त विवादित आराजी को खुर्द—बुर्द करने व बैचान कर वादी को उनके हक व हिस्से से बेदखल व वंचित करने पर उतारू है जिसका उनको कानूनन कतई अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी में वादी का जन्मजात हिस्सा निहित है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 12 कुछ बाहरी लोगों के बहकावें में आकर वादी की पैतृक सम्पत्ति को खुर्द—बुर्द करना चाहता है। उक्त विवादित आराजी पर दिनांक 10.11.2022 को चार पांच अजनबी व्यक्ति आराजी पर आये और बेचान की बातचीत करने लगे वादी ने उन अजनबी व्यक्तियों से आराजी पर आने का कारण पूछा तो उन्होनें कहा कि हमनें इस जमीन का सौदा तय कर लिया है तथा एक—दो दिन में इस विक्रय—पत्र तस्दीक करवाकर तुम्हें इस आराजी से बेदखल कर देंगे। वादी ने घर आकर अपने पिता से विवादित आराजीयात को बेचान नहीं करने बाबत कहा तो उन्होनें कहा कि मै इस आराजी को बेचान कर बेदखल कर दूंगा इस कारण वादी को अपने हितों के रक्षार्थ वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को बेचान कर दिया तो वादी को अपने हक व हिस्से से महरूम होना पडेगा तथा खर्चे से जेरबार होना पडेगा। इसलिए वादी को यह वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हुआ हैं प्रतिवादी संख्या 4 लैण्डहोल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार कायम किया गया है। इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद कारण दिनांक 10.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान व बेदखल करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वाद पत्र वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान का निवास सीन व विवादग्रस्त आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन लाल चौधरी ने वकालतनामा व जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथंन मे बताया की विवादग्रस्त आराजीयात मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो जमाबन्दी सम्वत् 2035—2038 में मेरे पिताजी दूरगालाल पुत्र श्रीनारायण के नाम रही तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी मेरे को मेरे पिताजी दूरगा पुत्र श्रीनारायण की मृत्यु होने पर विरासतन प्राप्त है।

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर वादी व हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बराबर – बराबर हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मुताबिक राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया तथा अपने राजीनामा मे वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति आराजी खाता संख्या 874 में वर्णित खसरा नम्बर 603, 604, 617, 7030/621 इस प्रकार कुल किता 04 कुल रकबा 4.6282 हैक्टेयर वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा में से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज काश्त है। विवादग्रस्त भूमि मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को मेरे पिताजी दूरगालाल के देहान्त के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई है तथा उक्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण के हक में मुताबिक वाद पत्र के डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। हम पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश पर राजीनामा हो चुका है जिसमें मै प्रतिवादी संख्या 2 अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती हूँ जिसमें मेरे को प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/3 को वादी को दिया जाता है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी पश्चिम मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी के नाम हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है तथा अपने राजीनामा मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा में से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सेनुसार डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। प्रतिवादी संख्या 2 अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है

लगातार..................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

तथा अपने सम्पूर्ण हिस्से को वादी को दिये जाने पर कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं किया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे हम वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 874 में वर्णित खसरा नम्बर 603, 604, 617, 7030/621 इस प्रकार कुल किता 04 कुल रकबा 4.6282 हैक्टेयर वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात मे वादी को 2/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 का काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/X/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते

मनिष तिवाडी बनाम मूलचन्द वगै0
मु0न0:– 104/2022
निर्णय दिनांक:– 28.10.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1 मनिष तिवाडी पुत्र मूलचन्द; जाति बारागांव, निवासी कस्बा फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र दुरगालाल
2. मनिषा तिवाडी पुत्री मूलचन्द
   समस्त जातियान बारागांव निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 104/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री प्रहलाद सहाय चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन लाल चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 874 में वर्णित खसरा नम्बर 603, 604, 617, 7030/621 इस प्रकार कुल किता 04 कुल रकबा 4.6282 हैक्टेयर वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात मे वादी को 2/3 हिस्से व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

निज................................मुबलिग................................बाबत...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी...........................सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/10/2024 को जारी की गई।

दस्तखत......................

मुहर

ओहदा....................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

28/x/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू